मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-4

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 25 जुलाई, 2007 (श्रावण 3, 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्री रामनिवास रावत, सदस्य के प्रश्न संख्या 10 (क्रमांक 888) "पंप उपभोक्ताओं को औसत विद्युत बिल भेजा जाना" पर चर्चा के दौरान श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री द्वारा किसानों के बारे में की गई एक टिप्पणी पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य भी प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी करते हुए गर्भगृह में आए, उन्होंने अपने प्रश्न नहीं पूछे तथा कुछ समय पश्चात् सदन से बहिर्गमन किया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 86 तारांकित तथा 86 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

(नियम 267-क के अधीन विषय (शून्यकाल) तथा पत्रों का पटल पर रखे जाने के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश सदस्यगण पुनः सदन में आकर, व्यवधान एवं शोरगुल के वातावरण में नारेबाजी करते हुए, गर्भगृह में आकर बैठ गए)

अध्यक्ष महोदय ने इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उनके अनुरोध पर सदस्यगण वापस अपने आसनों पर गए। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि किसानों के बारे में श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रस पार्टी के सदस्यों द्वारा कथित टिप्पणियों को कार्यवाही से विलोपित किया जाए।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री की कथित टिप्पणी पर उनसे माफी की मांग करते हुए, दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया)

3. नियम 267- क के अधीन विषय

(1) श्री दरबूसिंह उईके, सदस्य ने मध्यप्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा राज्य के 9 जिलों में संचालित आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुदान नहीं दिया जाने,

(2) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य ने पाढुर्ना के ग्राम लाहाटेमनी के कृषकों की फसल पशुओं द्वारा नष्ट करने,

(3) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य ने सीतामऊ उपस्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टरों की कमी होने,

(4) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य ने बैतूल जिले के विकास खण्ड भीमपुर में संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता किये जाने,

(5) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने भोपाल शहर में नगर निगम द्वारा बनाये गये हाकर्स कार्नर की भूमि पर अतिक्रमण होने,

(6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले के बडोदा नगर में विद्युत वोल्टेज की कमी होने,

(7) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने राज्य शासन द्वारा संचालित गांव की बेटी योजना के तहत छात्रवृत्ति न मिलने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने -

(क) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006; तथा

(ख) मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001,

(2) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006,

पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के ग्राम परीक्षा के ग्रामीणों के साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री कृष्ण कुमार सिंह "भंवर साहब", सदस्य ने सीधी जिला सहित प्रदेश के अनेक जिलों में वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को अन्तरित भूमि का अभिलेख तैयार न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नारायण सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, राजस्व ने इस पर वक्तव्य दिया।

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री तथा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस पर वक्तव्य दिया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के -

(क) ग्राम गौरी के कन्या हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
(ख) ग्राम पिपराही के शासकीय हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
(ग) ग्राम बसिगड़ा के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने, तथा
(घ) ग्राम बिछरहटा के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के -

(क) ग्राम इमलिया में आंगन बाड़ी केन्द्र का भवन बनाये जाने,
(ख) ग्राम पंचायत दीखतपुर में सेवा सहकारी संस्था का भवन बनाये जाने,
(ग) ग्राम इमलिया के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का भवन बनाये जाने,
(घ) ग्राम बरोली के तालाब का गहरीकरण किये जाने,
(ङ) ग्राम बरोली में पशु औषधालय का भवन बनाये जाने, तथा
(च) ग्राम बरोली से उम्मेदगढ़, बासीगाँव तक सड़क बनाये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

7. नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने दिनांक 11 फरवरी, 2005 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्रमांक 905) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 18 सन् 2007) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

9. वर्ष 2007-2008 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि सदन की परम्परानुसार अनुपूरक मांगों पर चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाती है और एक साथ चर्चा होती है अत: वित्त मंत्री सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 69, 75, 77, 78, 79 तथा 80 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिला कर एक हजार पांच सौ छियासठ करोड़, इक्यासी लाख, छप्पन हजार, पांच सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया।

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा,

सभापति महोदय (श्री कृष्णकुमार सिंह "भंवर साहब") पीठासीन हुए।

(2) श्री लाल सिंह आर्य,

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) श्री शंकरलाल तिवारी,

(4) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा,

(5) श्रीमती सरोज बच्चन नायक,

(6) श्री मनमोहन शाह बट्टी

(7) श्री दुर्गालाल विजय

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक - 3) विधेयक, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) को पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 1.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 26 जुलाई, 2007 (श्रावण 4, 1929) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.